पत्रांक – ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय– राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में पूर्व सेवाकालीन एम.एड. कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन तथा महाविद्यालय के विकास हेतु मार्गदर्शिका।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्धारित मानकों के अनुरूप राज्य के सरकारी प्रक्षेत्र के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों (सी.टी.ई.) में सत्र 2016–18 से पूर्व सेवाकालीन एम.एड. कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु शर्तो का निर्धारण निम्नवत किया गया है:–

(i) नामांकन हेतु संबंधित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर निर्धारित समय–सीमा के अंदर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(ii) नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता बी.एड./बी.एल.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. में 55 प्रतिशत की होगी। आरक्षित कोटि/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट होगी।

(iii) प्रतिदिन प्राप्त आवेदन पत्रों को इस कार्य के लिए निर्धारित एक पंजी में संधारित किया जाएगा तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित कर बंद कर दिया जाएगा। संबंधित प्राचार्य द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूची आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के दूसरे दिन संबंधित विश्वविद्यालय एवं विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(iv) संबंधित संस्थान द्वारा नामांकन से संबंधित आवेदन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत सीटों के विरूद्व आमंत्रित एवं प्राप्त किये जाएँगे।

(v) नामांकन में राज्य के आरक्षण नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के वर्तमान एवं समय–समय पर संशोधित नियमों/परिपत्रों का अनुपालन आवश्यक होगा।

(vi) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कुल स्वीकृत सीटों में से 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात् एक यूनिट (50 सीट) स्वीकृत होने की स्थिति में न्यूनतम 1 सीट एवं अधिकतम 2 सीट आरक्षित होगा। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा।

2. नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी/संकाय सदस्य रहेंगे:–

(i) संबंधित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य	–	अध्यक्ष
(ii) संबंधित विश्वविद्यालय, जिससे महाविद्यालय संबद्ध है, के कुलसचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्राध्यापक।	–	सदस्य
(iii) संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक	–	सदस्य
(iv) क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा मनोनित शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति/जनजाति का एक पदाधिकारी।	–	सदस्य
(v) राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के विभागाध्यक्ष/शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के पदाधिकारी।	–	सदस्य
(vi) प्राचार्य द्वारा नामित संबंधित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के प्राध्यापक अथवा सह–प्राध्यापक	–	सदस्य–सचिव

नोटः– क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय से वरीय होने की स्थिति में समिति का अध्यक्ष क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक होंगे।

उपर्युक्त (v) के संबंध में निर्णय शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्राचार्य, संबंधित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय को संसूचित किया जाएगा।

3. नामांकन हेतु चयन का आधार :– बी.एड./बी.एल.एड./(बी.ए./बी.एससी.बी.एड. में प्रशिक्षण में प्राप्त) प्राप्तांको का प्रतिशत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची कोटिवार तैयार किया जाएगा। प्राप्तांको का प्रतिशत एवं योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

4. नामांकन हेतु उम्र सीमाः– उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष होगी।

5. मेधा सूची कोटिवार अलग–अलग तैयार किया जाएगा तथा उसे संबंधित अध्यापक शिक्षा महाविद्यलाय के सूचना पट्ट/वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा।

6. मेधा सूची से नामांकन हेतु सूचना संबंधित महाविद्यालय के सूचना पट्ट/वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी को निबंधित डाक से सूचना भेजी जाएगी। नामांकन हेतु अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रतीक्षक सूची से अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

7. अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में एम.एड. कोर्स में नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रति वर्ष ₹13,000.00 (तेरह हजार) रूपये की राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी। अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रति वर्ष ₹6,500.00 (छः हजार पाँच सौ) रूपये होगी। यह राशि शिक्षार्थियों के मासिक भोजन एवं आवास शुल्क को छोड़कर होगी, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्र०सं०	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त
1	नामांकन शुल्क	1200/–	600/–
2	भवन रख–रखाव	5000/–	2500/–
3	पुस्तकालय	1000/–	500/–
4	खेलकूद व्यवस्था	300/–	150/–
5	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्य	200/–	100/–
6	प्रयोगशाला	1500/–	750/–
7	शैक्षिक भ्रमण	300/–	150/–
8	कौशन मनी	500/–	250/–
9	बिजली/पेयजल	500/–	250/–
10	शिक्षण अधिगम सामग्री/शोध कार्य	1500/–	750/–
11	शिक्षण अभ्यास एवं आंतरिक मूल्यांकन	1000/–	500/–
	कुल–	**13000/–**	**6500/–**

नोटः– संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क की राशि नामांकन शुल्क में शामिल है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि परीक्षार्थी से अलग से ली जाएगी। कौशन मनी की राशि (दोनों वर्षो के लिए) एक साथ नामांकन के समय ली जाएगी, जो परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात अभ्यर्थी को चेक के माध्यम से वापस कर दी जाएगी, बशर्ते कि महाविद्यालय का कोई बकाया छात्र के पास लम्बित नहीं हो।

8. छात्रों से प्राप्त शुल्क एवं महाविद्यालय की आय से प्राप्त राशि महाविद्यालय के छात्र–कोष में जमा किया जाएगा एवं उस राशि का उपयोग महाविद्यालय के विकास तथा विभिन्न मदों में किया जाएगा।

9. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्राचार्य एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा तथा प्रतिवर्ष होने वाले आय एवं व्यय की सूचना निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध कराई जाएगी।

10. राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जहाँ एम.एड. कोर्स संचालित है, के विभिन्न गतिविधियों तथा एम.एड. कोर्स के संचालन से संबंधित गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक केन्द्रीय समिति गठित की जाएगी, जिसमें प्राचार्य के अतिरिक्त छात्रावास प्रभारी, पुस्तकालय प्रभारी, भवन रख–रखाव प्रभारी, प्रयोगशाला प्रभारी एवं एक छात्र प्रतिनिधि रहेंगे।

11. भवन के रख–रखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रख–रखाव प्रभारी छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) तक की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करेंगे, परंतु महाविद्यालय भवन/छात्रावास मरम्मति का प्राक्कलन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अभियंता से बनवाकर ही राशि व्यय की जा सकेगी। प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति की बैठक कर किये जाने वाले कार्यो पर निर्णय लेंगे तथा बैठक की कार्यवाही संधारित की जायेगी। मदवार व्यय किये गये राशि की प्रविष्टि हेतु एक पंजी संधारित की जायेगी, जिस पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा। भवन मरम्मति में ₹1,00,000/– (एक लाख रूपये) से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम से प्राक्कलन तैयार कराकर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण से प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त कर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेंगे।

12. भौतिक संरचना यथा कुर्सी, टेबुल, दरी इत्यादि पुस्तकालयों के लिए पुस्तक एवं प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 17/16.01.2012 द्वारा गठित क्रय समिति रू० 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक की राशि का व्यय अपने स्तर से करेगी तथा इससे अधिक की राशि के लिए निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण से अनुमति प्राप्त कर करेगी।

13. तत्काल पटना विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एम.एड. कोर्स का पाठयक्रम राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविंद्यालय में लागू किया जाएगा। कालांतर में विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पाठयक्रम उससे सम्बद्ध अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में संचालित एम.एड. कोर्स में लागू किया जाएगा।

14. छात्रों के नामांकन के पश्चात् उनके अंक पत्र, शैक्षिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। प्रमाण पत्रों/अंक पत्र के गलत पाए जाने की स्थिति में नामांकन रद्द करते हुए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

15. सरकार द्वारा सभी छः अध्यापक शिक्षा संस्थान में क्रमशः प्राध्यापक के एक पद एवं सहायक प्राध्यापक के छः पद अलग से स्वीकृत किये गए हैं।

16. भविष्य में एम.एड. कोर्स संचालन संबंधी उपरोक्त मार्गदर्शिका में संशोधन हेतु विभाग स्वयं सक्षम होगा।

बिहार राज्यपाल के ओदश से

ह०/–
(भरत राम)
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/प्र० 7–01/2016 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित तथा 500 प्रतियाँ उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

ज्ञापांक– 20/प्र० 7–01/2016.. पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
उप सचिव

E:sankalp

(५१६)

ज्ञापांक– 20 / प्र० 7–01 / 2016.. पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
उप सचिव

ज्ञापांक– 20 / प्र० 7–01 / 2016.. पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / कुलसचिव, सभी विश्वविद्यालय / प्रबंध निदेशक, BSEIDC / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / निदेशक, SCERT / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी प्राचार्य, राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
उप सचिव

ज्ञापांक– 20 / प्र० 7–01 / 2016..................472.............. पटना, दिनांक 7/10/2016....

प्रतिलिपि– आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/10/16
अरमार उप सचिव